न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिक्री 246/2016
पंजीयन दिनांक 28.07.2016

(1). जैतून बी पुत्री अहमद खाँ पत्नी अब्दुल जब्बार जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 02 रावतभाटा हाल मुकाम पाटनपोल, हिरण बाजार, कोटा जिला कोटा (राज0) ।

-अपीलांट

बनाम

(1). अहसान हुसैन पिता अहमद खाँ जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 02 कोटा बैरियर रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(2). तोफन पुत्री अहमद खाँ मुसलमान पत्नी अब्दुल वहाब जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 01 रावतभाटा हाल हरिजन मोहल्ला भैंसरोडगढ तहसील भैंसरोडगढ जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(3). ललिता पत्नी अखिलेश गुप्ता जाति महाजन निवासी नया बाजार रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(4). रामधनी सिंह पुत्र रामचन्द्र जाति यादव निवासी बाडोलिया तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।

(5). भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा प्रकरण संख्या 04/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2016

उपस्थित वक्त बहस-(1). सावन श्रीमाली-अधिवक्ता अपीलांट
(2). कृष्णगोपाल व्यास- अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2
(3). छोगालाल जाट-अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण सख्या 3 व 4
(4). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय

दिनांक 28.10.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलांट वादिया ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 88, 53, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा नीम का खेड़ा तहसील रावतभाटा मे अपीलांट वादिया के पिता अहमद खां के नाम पैतृक कृषि आराजीयात स्थित है जो खाता संख्या 8 मे दर्ज कुल किता 15 कुल रकबा 15.93 हैक्टेयर स्थित है। अपीलांट वादिया मृतक अहमद खां की पुत्री है इसलिए उसे भी अहमद खां की कृषि आराजीयात मे हिस्सा दिलाया जाकर बंटवाड़ा कर खाता अलग-अलग दर्ज कराया जावे व अपीलांट वादिया को कब्जा दिलाया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अपीलांट वादिया की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अपीलांट वादिया का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया। उसके पश्चात अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दावे व जवाबदावे के अनुसार पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की। उक्त पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात विचाराधीन थी व दिनांक 17.06.2016 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट बडोलिया मे पत्रावली नियत की गई जिसमे बिना किसी लिखित राजीनामे के अपीलांट वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र यह मानते हुए कि वादग्रस्त आराजीयात के संबंध मे प्रकरण उच्च न्यायालय मे जैरकार है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णित किया जाना न्यायोचित नहीं होना मानते हुए गुणावगुण के आधार पर वादपत्र को निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निणर्य व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट वादिया ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की ।

इस न्यायालय मे अपीलांट वादिया की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट वादिया ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट वादिया ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया जिस पर रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाबदावा प्रस्तुत किया तत्पश्चात पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई। तनकीयात मे पत्रावली विचाराधीन रहते हुए प्रकरण को लोक अदालत मे नियत किया जाकर बिना पक्षकारान की आपत्ति व ऐतराज लिए यह मानते हुए कि इन्ही आराजीयात के संबंध मे प्रकरण उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है जिससे इस वादपत्र का निर्णय किया जाना न्यायोचित नहीं है व गुणावगुण के आधार पर वादपत्र वादी अपीलांट निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के तहत बिना किसी लिखित राजीनामे के अपरिपक्व वादपत्र मे बिना तनकीयात कायम किये बिना साक्ष्य सबूत के गुणावगुण के आधार पर अपीलांट वादिया का वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत नहीं होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलांट वादिया विवादित कृषि आराजीयात की खातेदार नहीं है न ही अपीलांट वादिया का विवादित कृषि आराजीयात पर कभी कब्जा रहा है। अपीलांट वादिया की ओर से वादपत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व नामान्तरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर मे विचाराधीन है। विवादित कृषि आराजीयात के संबंध मे उच्च न्यायालय मे पक्षकारान के मध्य प्रकरण जैरकार है। उच्च न्यायालय मे प्रकरण जैरकार रहते हुए अपीलांट वादिया ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पुनः वादपत्र प्रस्तुत किया है जिससे अपीलांट वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के श्रवण योग्य नहीं होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को निरस्त किये जाने मे किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं की है जिससे अपीलांट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय व न्यायालय हाजा की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने पिता की कृषि आराजीयात मे हक व अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा , कब्जेयाबी, व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपनी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया व जवाबदावे के साथ विशेष कथन भी प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की। पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत होकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपरिपक्व पत्रावली को लोक अदालत मे नियत की गई व लोक अदालत मे उभयपक्ष उपस्थित नहीं हुये थे फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपरिपक्व पत्रावली मे बिना किसी लिखित राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलांट वादिया का वादपत्र यह मानते हुए कि इन्ही आराजीयात के संबंध मे प्रकरण उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है, को आधार बनाकर अपीलांट वादिया का वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। उच्च न्यायालय मे जो प्रकरण विचाराधीन है वह नामान्तरण की अपील होकर संक्षिप्त कार्यवाही है। जबकि हस्तगत प्रकरण वादपत्र होकर उभय पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित था फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने गलत तथ्यों को आधार बनाकर अपीलांट वादिया के अपरिपक्व वादपत्र को लोक अदालत मे नियत किया जाकर उभय पक्षकारान के मध्य बिना किसी लिखित राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट वादिया स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा प्रकरण संख्या 04/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2016 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पत्रावली मे तनकीयात कायम कर उक्त तनकीयात पर उभय पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए तनकीवार, अजसरे नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 06.12.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)